छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 469/2006</u>

श्री सी.एल.जैन सोना,
पत्रकार,
कमल टाकिज रोड,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

1. श्री सुधाकर हटवार,
   तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं
   कार्यपालन अभियंता,
   लोक निर्माण संभाग,
   खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

2. श्री डी0के0प्रधान,
   जन सूचना अधिकारी एवं
   कार्यपालन अभियंता,
   लोक निर्माण संभाग,
   खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

3. श्री बी0एल0राठौर,
   तत्कालीन सहायक जन सूचना अधिकारी
   एवं अनुविभागीय अधिकारी,
   लोक निर्माण संभाग, डोंगरगढ़,
   जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

4. श्री याज्ञिक ,
   सहायक जन सूचना अधिकारी एवं
   अनुविभागीय अधिकारी,
   लोक निर्माण संभाग, डोंगरगढ़,
   जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) .... अनावेदकगण

:: <u>आदेश</u> ::

(<u>13 फरवरी 2007</u>)

श्री सी. एल. जैन सोना (पत्रकार) निवासी–राजनांदगांव के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 08–12–2005 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव से ग्राम–मुसरा से कसारी सड़क पर 01 नवम्बर 2000 से 30 नवम्बर 2005 तक किये गये कार्यों की जानकारी, कार्यो की स्वीकृति, माप पुस्तिका,

स्वीकृत डिजाईन, स्वीकृत प्राक्कलन एवं भुगतानों की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही थी। स्मरण–पत्र देने के पश्चात् भी जानकारी समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण उसके द्वारा शिकायत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को प्रस्तुत की गई। आयोग के द्वारा प्रतिवेदन कार्यपालन अभियंता से बुलाया गया। प्रतिवेदन प्राप्त न होने के फलस्वरूप आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया। अनावेदक कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, खैरागढ़ के द्वारा आयोग को पत्र दिनांक 26–09–2006 के द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक के द्वारा नियमानुसार राशि जमा नहीं की गई है, राशि जमा होते ही उन्हें जानकारी प्रदान कर दी जावेगी। अनावेदक के द्वारा अभिलेख शुल्क की राशि आवेदक से पत्र दिनांक 05–09–2006 से मांगी गई थी। निर्धारित अवधि के पश्चात् अभिलेख शुल्क की राशि मांगे जाने के फलस्वरूप आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को 10,000/– रुपये का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया, साथ ही आवेदक को 15 दिन में निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के लिए भी निर्देश दिये गये। दिनांक 09–11–2006 को अनावेदक श्री डी0के0प्रधान के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक को 27–10–2006 को जानकारी दी जा चुकी है। जानकारी विलम्ब से देने के लिए श्री सुधाकर हटवार, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग जवाबदार हैं। अतः आयोग के द्वारा श्री सुधाकर हटवार को कारण बताओ नोटिस दिये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 28–12–2006 को श्री सुधाकर हटवार के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि विलम्ब से जानकारी देने के लिये श्री बी. एल.राठौर तथा श्री याज्ञिक, अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0, डोंगरगढ़ जवाबदार हैं। आयोग के द्वारा श्री बी.एल.राठौर तथा श्री याज्ञिक, अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0, डोंगरगढ़ को भी 10,000–10,000/– रुपये का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये।

2/ आयोग के द्वारा शिकायतकर्ता श्री सी0एल0जैन तथा अनावेदक श्री डी0के0प्रधान, श्री सुधाकर हटवार तथा श्री याज्ञिक एवं श्री बी0एल0राठौर, अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0, डोंगरगढ़ के जवाबों पर विचार किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। शिकायतकर्ता के द्वारा बतलाया गया कि उसने सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी हेतु आवेदन पत्र दिनांक 08–12–2005 को आवेदनशुल्क के साथ प्रस्तुत किया था। किन्तु उसे सर्वप्रथम 05–09–2006 को 1422/– रुपये जमा करने हेतु पत्र भेजा गया। इससे स्पष्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में जानकारी न देकर अवधि के उपरान्त अभिलेख शुल्क जमा करने के लिये सूचित किया गया। अतः उसके द्वारा मांग की गई कि जानकारी के विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। श्री डी0के0प्रधान के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि आवेदक ने काफी विस्तृत जानकारी मांगी थी, जिसके कारण संकलन में विलम्ब हुआ। जानकारी संकलन के पश्चात् वांछित राशि आवेदक के द्वारा जमा न करने के कारण भी विलम्ब हुआ है, उसने यह भी बतलाया कि विलम्ब उसके कार्यकाल में नहीं हुआ वरन् तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, खैरागढ़ श्री सुधाकर हटवार के कार्यकाल में हुआ है। श्री सुधाकर हटवार ने अपने जवाब में बतलाया कि उसके द्वारा पत्र दिनांक 15–12–2005 से सहायक जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण संभाग, डोंगरगढ़ को सूचित

किया गया था, कि अपने विभाग के एक जिम्मेदार सहायक को वांछित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु भेजें। अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के द्वारा पत्र दिनांक 09–12–2005 द्वारा कार्यपालन अभियंता से पूछा गया था कि दस्तावेज देने हेतु कितनी राशि लिया जाना है तथा इसकी प्रति आवेदक को भी दी थी। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री राठौर ने अपने जवाब में बतलाया कि वह दिनांक 08–12–2005 से 23–12–2005 तक ही पदस्थ था तथा इस अवधि में उसने आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, रायपुर एवं संभागीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, खैरागढ़ से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। दिनांक 23–12–2005 को उसके द्वारा कार्यभार श्री बी0एम0याज्ञिक, वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया। अतः उसने विलम्ब के लिये स्वयं को दोषी नहीं माना है। श्री बी0एम0याज्ञिक के द्वारा अपने जवाब में बतलाया कि आवेदक को पत्र दिनांक 05–09–2006 के द्वारा दस्तावेज की राशि जमा करने हेतु लिखा गया था, किन्तु राशि जमा नहीं की गई। आवेदक को निःशुल्क दस्तावेज 18–10–2006 को प्रदान किये गये।

3/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने सहायक जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0 को दिनांक 08–12–2005 को 2 आवेदन पत्र देकर 2 सड़कों मुसरा से कसारी एवं मोतीपुर–मुहारा मार्ग से संबंधित जानकारी चाही थी। उसने आवेदन शुल्क भी जमा किया तथा यह भी उल्लेख किया कि अभिलेख के रूप में जो भी राशि बताई जायेगी वह जमा करने के लिए तैयार है। अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0 के द्वारा सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग श्री सुधाकर हटवार को आवेदन–पत्र भेजा गया तथा पत्र दिनांक 09–12–2005 में यह भी उल्लेख किया कि कितनी राशि दस्तावेज की लिया जाना है यह सूचित किया जावे। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग के द्वारा दिनांक 15–12–2005 को अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0, डोंगरगढ़ को सूचित किया गया कि किसी सहायक को संभागीय कार्यालय भेजा जावे, जो जानकारी एकत्रित कर सके। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग एवं श्री राठौर, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा मौखिक तर्कों में यह स्पष्ट किया गया कि अधिकांश जानकारी कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में रहती है, अतः कितना अभिलेख शुल्क लिया जाना है यह सूचना अधिकारी ही बतला सकते हैं। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग के द्वारा बतलाया गया कि जानकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण संभाग, रायपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0, डोंगरगढ़ के कार्यालय में भी थी, अतः एकत्रित करने में समय लगा। कार्यपालन अभियंता को सूचना अधिकारी के रूप में निर्धारित अवधि में जो अभिलेख उसके कार्यालय में उपलब्ध थे, उसका अभिलेख शुल्क आवेदक को सूचित कर उपलब्ध अभिलेख की प्रतियाँ उपलब्ध कराना थी। यह भी स्पष्ट है कि कार्यपालन अभियंता श्री सुधाकर हटवार के द्वारा प्रमुख अभियंता अथवा अन्य अधिकारियों को अभिलेख प्रदान करने के लिए कोई पत्र लिखे गये इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। श्री बी0एम0राठौर, अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0, डोंगरगढ़ के द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना अधिकारी को पत्र लिखकर अभिलेख शुल्क से संबंधित जानकारी मांगी गई, तत्पश्चात् श्री राठौर का स्थानांतरण हो गया, अतः जानकारी विलम्ब से दिये जाने में दोषी प्रतीत नहीं होते। अतः इनके विरूद्ध

10,000/— रुपये अर्थदण्ड हेतु जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। श्री सुधाकर हटवार, कार्यपालन अभियंता दिनांक 3 अगस्त 2006 तक पद पर थे, उनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास नहीं किये गये और न ही इस बात का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि जानकारी देने में क्यों विलम्ब हुआ ? उनका यह जवाब कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0 कार्यालय को एक सहायक उपलब्ध कराने के लिये लिखा था, उन्हें उनके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता। उनके कार्यालय में जो जानकारी उपलब्ध थी, वह आवेदक को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करा देनी थी। उन्होंने यह भी अपने जवाब में स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा जानकारी एकत्रित करने के लिये क्या प्रयास किये गये। अतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तथा इसके लिए वे उत्तरदायी हैं। अतः श्री सुधाकर हटवार, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग पर 2,000/— रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। श्री डी0के0प्रधान, वर्तमान कार्यपालन अभियंता ने दिनांक 3 अगस्त 2006 में कार्यभार ग्रहण किया। आयोग के निर्देशानुसार उनके द्वारा 470 पृष्ठों की जानकारी एकत्रित कर आवेदक को उपलब्ध कराई गई। अतः वे निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान न करने के लिये दोषी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध जारी 10,000/— रुपये अर्थदण्ड का कारण बताओ सूचना—पत्र निरस्त किया जाता है। श्री याज्ञिक, अनुविभागीय अधिकारी ने अपने मौखिक तर्कों में बतलाया कि उसके द्वारा जानकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय से तथा संभागीय कार्यालय से एकत्रित की गई। चूंकि जानकारी विस्तृत थी तथा वह कार्यपालन अभियंता के द्वारा अभिलेख शुल्क निर्धारित करने के बाद उसके द्वारा निर्देशानुसार आवेदक को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिये सूचित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा समय—समय पर आवेदक के द्वारा दिये गये पत्रों को कार्यपालन अभियंता को सूचित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता हैं तथा उनका उत्तरदायित्व था कि वे निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते। जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री याज्ञिक दोषी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

4/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध न कराने के लिये श्री सुधाकर हटवार, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग दोषी हैं, अतः पूर्व उल्लेखानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—20 के अंतर्गत श्री हटवार का 2000/— रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। आवेदक को सूचना समय पर न मिलने के कारण तथा बार—बार स्मरण कराने के पश्चात् भी वांछित जानकारी उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उसे जो मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है, उसके लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदक को 250/— रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त